न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–132/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00238)

1. छोटूलाल पुत्र सुखा जाति गुर्जर,
2. सीताराम पुत्र श्री छोटूलाल, जाति गुर्जर,
3. शिवदयाल पुत्र श्री छोटूलाल, जाति गुर्जर,
4. सचिन पुत्र स्व. श्री रामदेव, जाति गुर्जर,
5. भूणाराम कपुत्र स्व. श्री भगीरथ, जाति गुर्जर,
6. मन्नीदेवी पत्नी रामदेव, जाति गुर्जर,
7. देवाराम पुत्र स्व. श्री श्रीलाल, जाति गुर्जर,
8. शिव प्रसाद हरसाना पुत्र छोटूलाल, जाति गुर्जर समस्त निवासी जयहरिपुरा उर्फ बासड़ा हाल तहसील कोटखावदा पूर्व तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत मण्डालिया मैदा पंचायत समिति चाकसू तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री घसीलाल कुमावत एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांकः 18.01.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम पंचायत मण्डालिया मैदा पंचायत समिति चाकसू जिला जयपुर की ग्राम संभा दिनांक 04.06.2010 में पारित प्रस्ताव संख्या 25 के द्वारा ग्राम जयहरिपुरा उर्फ बासडा तहसील चाकसू हाल तहसील कोटखावदा स्थित खसरा नम्बर 219 रकबा 9.39 हैक्टयर किस्म चारागाह में से 1.00 हैक्टयर भूमि आबादी प्रयोजनार्थ सार्वजनिक आबादी विस्तार हेतु आरक्षित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तहसीलदार चाकसू द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 ए के तहत निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव प्रशासन गावों के संग अभियान में शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर के समक्ष पेश किया गया उक्त आरक्षण बाबत तहसीलदार चाकसू तथा ग्राम पंचायत द्वारा सहमति व्यक्त किये जाने पर राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

1955 के नियम 7 यथा संशोधित के अनुसरण में ग्राम जयहरिपुरा उर्फ बासडा तहसील चाकसू हाल तहसील कोटखावदा स्थित खसरा नम्बर 219 रकबा 9.039 हैक्टयर किस्म चारागाह में से 1.00 हैक्टयर भूमि कम करने की स्वीकृति प्रदान कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की (विशेष अधिसूचना संख्या 38 दिनांक 10.1.2010) धारा 92 तक के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त वर्णित भूमि को आबादी हेतु पृथक सेट अपार्ट) किये जाने का उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर ने दिनांक 31.12.2010 को आदेश पारित किया। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रस्तावित भूमि का नक्शा लाल स्याही से चिन्हित किया गया व भूमि पर अतिक्रमण व मकानात निर्मित होना बताया गया व उपखण्ड अधिकारी चाकसू द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2010 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 90 दिनांक 24.02.2012 द्वारा स्वीकार किया जाकर नया खसरा नम्बर 219/1 रकबा 1.00 हैक्टयर गैर मुमकिन आबादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई तथा नक्शे में तरमीम की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 10.05.2018 को सरपंच ग्राम पंचायत मण्डालिया मैदा ने दिनांक 10.05.2018 को कैम्प प्रभारी उपखण्ड अधिकारी चाकसू के पूर्व नक्शें में प्रस्तावित/तरमीम की गई भूमि की जगह को खारिज कर अन्य जगह तरमीम करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर उपखण्ड अधिकारी चाकसू ने आदेश अधीनस्थ अपील दिनांक 31.05.2018 के द्वारा पूर्व तरमीम को निरस्त कर अन्य जगह तरमीम करने का अनुचित अवैध व क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को सही अर्थो में समझे बिना कतई परवर्स आरबीट्रेरी एवं कॉट्रेरी टू लॉ आदेश अधीन पारित कर भंयकर कानूनी गलती की है। इसलिये भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पूर्व में तरमीम निरस्त कर दूसरी जगह तरमीम करने का प्रस्ताव न तो ग्राम सभा में, न पंचायत में प्रस्तुत हुआ है, न ही प्रस्ताव पारित हुआ है, अकेले सरपंच को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है, सरपंच ग्राम पंचायत ने गुपचुप में साजकर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा साजकर पटवारी से रिपोर्ट करवाई है, केवल जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने कतई अनुचित अवैध व क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना कोई जांच व तहकीकात के सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश अधीन अपील पारित किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि पूर्व में की गई तरमीम में अपीलान्ट के कच्चे पक्के मकानात बने हुऐ है, पशुओं के बाड़े बने हुये है अपीलान्ट ने अपने मकानों में विधुत कनेक्शन विधुत विभाग से ले रखें है अपीलान्ट सीताराम, छोटू, देवनारायण जो कि सन् 1981 की बाढ़ से पीड़ित/प्रभावित थे उनको ग्राम पंचायत ने बसाया है व अनुदान से शौचालय बनाये हुऐ है, सरकारी बोरिंग है, शंकर भगवान का मंदिर बना हुआ है, वर्तमान सरपंच के खिलाफ अपीलान्ट सीताराम का पुत्र चुनाव लड़ा था इस

न्यायालय आयुक्त
जयपुर

रंजिश से सरपंच जगदीश नारायण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व तरमीम को निरस्त कर दूसरी जगह तरमीम किये जाने का आवेदन बराये बदनियति प्रस्तुत किया गया है जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने अपीलान्ट्स प्रभावित व्यक्तियों को न तो नोटिस दिया, न ही किसी प्रकार की जांच पड़ताल की तथा सरसरी तौर पर ही आदेश अधीन अपील पारित कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य किया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत आदेश अधीन अपील पारित किया जो प्रस्तुत प्रकरण धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की परिधि में कतई नही आता है। उन्होने कथन किया है कि आदेश अधीन अपील अपीलान्ट को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये सरपंच ग्राम पंचायत ने साजकर पारित करवाया है जिसका ज्ञान पूर्व में अपीलान्ट को नही हुआ है तथा दिनांक 01.05.2019 को अपीलान्ट शिवदयाल पट्टे बनाने वास्ते जमाबन्दी नक्शें की नकलें लेने पटवारी हल्का के पास गया तो पटवरी हल्का ने आदेश अधीन अपील दिनांक 31.05.2018 के विषय में बताया जिस पर अपीलान्ट को चिन्ता हुई जिस पर दूसरे दिन दिनांक 02.05.2019 को आदेश अधीन अपील के लिये नकल का आवेदन पेश कर उसी दिन नकल प्राप्त की नकल प्राप्त होने पर आदेश अधीन अपील का पूर्ण ज्ञान हुआ है इससे पूर्व आदेश अधीन अपील का ज्ञान अपीलान्ट को किसी भी स्त्रोत से नही हुआ है, नकल प्राप्त करने के बाद का समय कानूनी राय लेने, खर्चे, फीस आदि की व्यवस्था करने मे लगा है तत्पश्चात् जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया है। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत मण्डालिया मैदा के ग्राम सभा दिनांक 04.06.2010 प्रस्ताव संख्या 25 में ग्राम जयहरिपुरा उर्फ बासड़ा में आवासीय भूमि हेतु चारागाह भूमि खसरा नम्बर 219 करबा 9.39 हैक्टयर में

P.T.O.

से एक हैक्टयर भूमि आबादी भूमि में परिवर्तित करवाने हेतु प्रस्ताव कोरम में सर्वसम्मति से पारित होने एवं तहसीलदार चाकसू द्वारा उक्त भूमि को आबादी विस्तार हेतु आवंटन/आरक्षित करने हेतु प्रस्तावित करने पर उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर के आदेश दिनांक 31.12.2010 द्वारा उक्त भूमि को आबादी हेतु पृथक (सेट अपार्ट) गया है तथा उक्त आवंटन के अनुसार ही आवंटन के समय ही भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं तरमीम इत्यादि की गई है जिसे करीब 10 वर्ष पश्चात् उक्त तरमीम को केवल सरपंच के प्रार्थना पत्र पर बदलने के ठोस कारण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष उपलब्ध नही थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.052018 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2018 को निरस्त किया जाता है एवं वादग्रस्त भूमि की पूर्व स्थिति बहाल की जाती है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।